159

संख्या– /XIV-2/2012

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, काशीपुर,
जनपद उधमसिंहनगर।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 23 नवम्बर, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12 में पूर्व उपाध्यक्ष प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति के अवशेष देयक भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2043/वित्त/दिनांक 31.10.2012, एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–321/XXVII(1) दिनांक 19.6.2012, पत्र संख्या 330/XXVII(I) दिनांक 22.6.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत कुल प्राविधानित बजट की धनराशि रू. 15.00,000.00 (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2011–12 में पूर्व उपाध्यक्ष प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति के अवशेष देयक रू0 4,20,000.00 (रू0 चार लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2) प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति के विभिन्न पदों पर नियुक्त महानुभावों हेतु दी जा रही प्रश्नगत राशि का व्यय गोपन (मंत्रिपरिषद) विभाग द्वारा जारी शासनादेशों के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाय।

3) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या दिनांक के आधार पर आवंटित बजट की सीमा में प्रतिमाह 05 तारीख तक प्रपत्र बी.एम.–05 पर आहरण एंव वितरण अधिकारी पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा प्रपत्र बी0एम0–13 पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

4) धनराशि निर्धारित मद में ही व्यय की जाय एवं व्यय करते समय वित्त विभाग की मितव्ययता संबंधी आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाय।

5) स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा अनुमोदित धनराशि सीमा तक ही किया जाय। इस संबंध में स्पष्ट किया जाय कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत रूप से एवं अधिक व्यय न किया जाय।

6) स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक बी.एम. –13 पर के नियमित रूप से वित्त विभाग/गन्ना विकास एवम् चीनी उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7) विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी.एम.–17 पर नियमित रूप से वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कैंराना सुनिश्चित करेगें।

8) स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या –321/XXVII(1) दिनांक 19.6.2012 एवं वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्यो/मद पर व्यय न की जाए, जो की वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी प्रतिबन्धित हो अथवा शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति न ली गयी हो, प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमो का अनुपालन किया जाए।

9) उक्त व्यय वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय व्ययक अनुदान संख्या–17 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म–00–108–वाणिज्यिक फसलें–05 प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति–20, सहायक अनुदान/अंशदान /राज्य सहायता के सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

10) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–321/XXVII(I)/2012, दिनांक 19 जून, 2012 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक– ऑनलाईन एलॉटमेण्ट आई.डी.।

भवदीय

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव।

संख्या : 1411 (1)/XIV-2/2012, तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(2) आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
(3) जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंह नगर।
(4) सहायक गन्ना आयुक्त, हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंह नगर।
(5) वित्त अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(6) बजट राजकोषीय नियोजन संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(7) निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
(8) मीडिया सेण्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव